तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर – 132/2009 आशा बनाम राधेश्याम वगैरह दावा घोषणार्थ, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
1.03.2018	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वाद में वर्णित तथ्यों व वकील वादिया द्वारा राजीनामा उठाने बाबत दावा व प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 23 आर 1 सी.पी.सी. में वर्णित तथ्यों का अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया गया। वादिया अपने कथनों के साथ वाद में वर्णित भूमि को प्रतिवादी न. 2 व 3 ने प्रतिवादी न. 1 राधेश्याम से साज कर राधेश्याम के नाम से बने गलत राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर गलत तौर से प्रतिवादी न. 1 राधेश्याम का हिस्सा बताकर मनोज कुमार शर्मा को एक बिचौती पत्र दिनांक 07.08.2009 को उप पंजीयक, झुंझुनू के यहां भूमि खसरा न. 93 रकबा 0.43 हैक्टर का तस्दीक करवा दिया, जबकि उक्त भूमि खसरा न. 93 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा न. 93/883 रकबा 0.74 हैक्टर में प्रतिवादी न. 1 राधेश्याम का 1/2 हिस्सा था, जबकि वादिया व प्रतिवादी न. 1 लगायत 3 के साथ इस जमीन का विभाजन भी नही हुआ था। इसलिए प्रतिवादी न. 1 लगायत 3 को बिचौती पत्र तस्दीक कराने का कोई अधिकार नही था। अगर वादिया किसी बिचौती पत्र को नियमानुसार सही नहीं मानती है तो नियमानुसार उक्त बिचौती पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर विधिक अनुतोष प्राप्त किया जाना चाहिए। परन्तु वादिया द्वारा दौराने दावा प्रस्तुत राजीनामे के पेटे इस प्रकरण में वर्णित कृषि भूमियों के साथ कस्बा बगड़ वार्ड न. 5 में स्थित आवासीय मकानात को शामिल करती हुई अपना समस्त हक अधिकार त्याग करती हुई डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा रकम वसूल कर राजीनामा तसदीक करवाने का कथन किया है। जबकि राजीनामें में कृषि भूमियों के साथ आवासीय मकानात शामिल है। जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। इस प्रकार प्रस्तुत राजीनामे से प्रतीत होता है, कि अगर राजीनामा तसदीक किया जाता है तो राज्य सरकार को राजस्व (स्टाम्प ड्यूटी) हानिकारित होगी। अतः नियमानुसार राजीनामा तसदीक नही किया जा सकता। चूंकि वादिया ने आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. के तहत वाद को विदड्रा करने का प्रार्थना–पत्र पेश किया है। अतः **आदेशः–** उक्त विवेचन के आधार पर वादिया का आवेदन पत्र अ0 आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद को विदड्रा के आधार पर इसी स्तर पर वाद वादिया खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 21.3.18 उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड झुंझुनूं (राज.) झुंझुनू	

Scanned by CamScanner